Title: Need to amend the provisions of crop insurance scheme keeping in view the interest of farmers.

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना से किसानों को कोई विशेा फायदा नहीं हो रहा है। किसानों को इस योजना के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण कई किसान इस योजना से लाभ नहीं लेना चाहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में किसानों को फसल बीमा योजना से जो पैसा देना है, वह बैंकों में ही पड़ा है, विशेाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं है। लोग खेती-बाड़ी और डेयरी उद्योग पर ही निर्भर हैं। खेती भी सिंचाई के अभाव में और सूखे की मार से हो नहीं पाती है। सूखे की चपेट में मेरे संसदीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा रहता है, जिसके कारण यहां के किसान ठीक प्रकार से फसल नहीं बो पाते हैं। अतः फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए इसकी पॉलिसी में बदलाव करना जरूरी है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना की पॉलिसी में किसानों के हित में बदलाव किया जाये, जिससे आपदा के समय वे फसल बीमा योजना का फायदा उठा सकें।